(1)

:: आ दे श ::

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ द्वारा अपने पत्रांक–1715/13 सी. दिनांक 30–06–2016 के द्वारा अवगत कराया गया है कि, जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत नागजगई–फेगू–बरम्वाडी मोटर मार्ग निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या–2555/III-2/06-41 (प्रा0आ0) /06 दिनांक 26–09–2006 के द्वारा तथा भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 08बी./यू0सी0पी0/06/176/2016/एफ0सी0 दिनांक 13–02–2018 से सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। जिसके कम में उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अधिगृहित की जानी वाली भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उत्तराखण्ड सरकार की सिविल सोयम भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराने का निवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण पर तहसीलदार वसुकेदार द्वारा जांच रिर्पोट पत्र संख्या– 340/र0का0–भू0ह0/2018–19 दिनांक 13 जून 2018 के द्वारा उपलब्ध कराते हुए, अवगत कराया है कि, रा0उ0निरीक्षक, क्षेत्र भीरी के ग्राम फेगू की ज0वि0र0 खतौनी श्रेणी 9 (3) ग के खाता संख्या–05 के खसरा नम्बर 1137 रक्वा 21.250 है0 मध्ये रक्वा 2.902 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कर प्रस्तावित की गई है।

अतः तहसीलदार बसुकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर शासनादेश संख्या– 2173/XVIII (II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग–2 , दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के कम में उक्त चयनित भूमि को वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(Stamp: अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो० नि० वि० ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग) — 1-पंजिका क्रमांक 908, 13 सी, 3.8.18, हस्ताक्षर)

वन भूमि सहायक

(signature)

(मंगेश घिल्डियाल)
जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

संख्या–5384/छब्बीस–19 /2017–18 दिनांकः रुद्रप्रयागः जुलाई 27, 2018.

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, गढवाल मण्डल पौडी।
4– उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग।
5– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ।
6– उप जिलाधिकारी/तहसीलदार वसुकेदार।

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

पत्रांक 2224/13C दिनांक 3/8/18.

प्रतिलिपि:– सहायक अभियन्ता (II) लो० नि० वि० ऊखीमठ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(signature)
अधि० अभि०